निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. ज़िला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 102/2011 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये प्रेमलता शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी प्लाट नम्बर 16, देवनारायण मन्दिर के सामने, झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर, जयपुर पुलिस थाना मालवीय नगर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम एवं 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 100 ग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 10.10.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.2011 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निदेशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में अवैध रूप से विक्रय करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी प्लाट नम्बर 16, देवनारायण मन्दिर के सामने, झालाना कच्ची बस्ती, मालवीय नगर की जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर प्लाट नम्बर 16 के सामने रोड पर एक लाल टैक्सी नम्बर आर.जे. 14 जीए 8560 खडी मिली। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दो वाणिज्यिक सिलेण्डर रखने का प्रयास किया जा रहा था। इस व्यक्ति से उसका मोबाईल हाथ में लेकर उसका नाम पूछने पर वह दोनो व्यवसायिक सिलेण्डर छोडकर मौके से भाग गया। वक्त जांच प्लाट नम्बर 16 जो खाली चौक पानी की टंकी के सामने स्थित है में भूतल पर बने तीन कमरों की जांच की गई। वक्त जांच श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह व गवाहान की उपस्थिति में कमरा नम्बर 3 की जांच करने पर कमरे के अन्दर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर व 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर रखे पाये गये। इस कमरे में गैस सिलेण्डरो के काम आने वाले वासर भी रखे पाये गये। मौके पर पृथ्वी सिंह से पूछताछ करने पर उक्त घरेलू व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को रखे जाने हेतु बताया कि उसके द्वारा कैटरिंग का कार्य किया जाता है। जिसके लिए उसे सिलेण्डरों की आवश्यकता होती है। मौके पर श्री पृथ्वी सिंह द्वारा टिफिन सेन्टर व कैटरिंग का कार्य करना व अनुज्ञापत्र लेना बताया, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार श्री पृथ्वी सिंह द्वारा स्वयं के मकान में एक कमरे में 8 घरेलू व 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मिलने के संबंध में यह बताया कि उसके मकान में किरायेदार रहते थे उनके कमरा खाली करने चले जाने पर उनकी डायरिया व सिलेण्डर उन्होने रख लिये ओर उसके पास छोड गये है। मौके पर श्री पृथ्वीसिंह ने कुल 13 ब्लू बुक

जिला कलक्टर
जयपुर

डायरिया (जिसमें उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर आपूर्ति होने पर इन्द्राज किया जाता है) मय 8 एसवी वाउचर सहित प्रस्तुत की गई। श्री पृथ्वीसिंह ने बताया कि इन 13 डायरियों में से कुल 7 उपभोक्ता लगभग 7–8 माह पूर्व मकान छोड गये है। मौके पर मैसर्स सन्नी गैस बी.पी.सी.एल. जयपुर के प्रतिनिधि श्री सक्कु सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी बी–54, नन्द विहार, सवाई गेटोर, मालवीय नगर, जयपुर को साल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त समस्त गैस सिलेण्डरों का वजन कराया गया जिमसें 99 किलोग्राम एल.पी.जी. पायी गई। इस प्रकार श्री पृथ्वी सिंह के द्वारा अवैध रूप उपभोवताओं की डायरियों पर घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त कर अपने मकान में बने कमरे में भण्डराण कर घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में गैस का अन्तरण कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विक्रय किया जाना प्रतीत होने व घरेलू गैस का दुरूपयोग पाये जाने पर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर (2 सिलेण्डर बाहर व 3 सिलेण्डर कमरे में मिले) मय एल.पी.जी. 100 ग्राम तथा 13 ब्लू बुक डायरियों का मय 8 एस.वी. वाउचर जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स सन्नी गैस बी.पी.सी.एल. के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिया गया। प्रकरण में निर्देशानुसारा पुलिस थाना मालवीय नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 711/2011 दिनांक 03.12.2011 दर्ज कराई जा चुकी है। अतः जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 100 ग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 14.12.2011 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री संजय श्रीवास्त ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया तथा बहस हेतु अवसर चाहा। दिनांक 21.05.2012 को श्री राकेश सिंह की ओर से श्री संजय श्रीवास्तव ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र पेश कर गैस सिलेण्डर सुपुदर्गी पर दिये जाने का पेश किया। पत्रावली जवाब हेतु नियत की गई किन्तु श्री राकेश सिंह एवं उनके अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 28.01.2014 को जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौके पर प्लाट नम्बर 16 के सामने रोड पर एक लाल टैक्सी नम्बर आर.जे. 14 जीए 8560 खडी मिली। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दो वाणिज्यिक सिलेण्डर रखने का प्रयास किया

जिला कलक्टर जयपुर

जा रहा था। इस व्यक्ति से उसका मोबाईल हाथ में लेकर उसका नाम पूछने पर वह दोनो व्यवसायिक सिलेण्डर छोडकर मौके से भाग गया। वक्त जांच प्लाट नम्बर 16 जो खाली चौक पानी की टंकी के सामने स्थित है में भूतल पर बने तीन कमरों की जांच की गई। वक्त जांच श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह व गवाहान की उपस्थिति में कमरा नम्बर 3 की जांच करने पर कमरे के अन्दर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर व 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर रखे पाये गये। इस कमरे में गैस सिलेण्डरो के काम आने वाले वासर भी रखे पाये गये। मौके पर पृथ्वी सिंह से पूछताछ करने पर उक्त घरेलू व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को रखे जाने हेतु बताया कि उसके द्वारा कैटरिंग का कार्य किया जाता है। जिसके लिए उसे सिलेण्डरों की आवश्यकता होती है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा टिफिन सेन्टर व कैटरिंग का कार्य करना व अनुज्ञापत्र लेना बताया। परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा स्वयं के मकान में एक कमरे में 8 घरेलू व 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मिलने के संबंध में यह बताया कि उसके मकान में किरायेदार रहते थे उनके कमरा खाली करने चले जाने पर उनकी डायरिया व सिलेण्डर उन्होने रख लिये ओर उसके पास छोड गये है। मौके पर अप्रार्थी ने कुल 13 ब्लू बुक डायरिया (जिसमें उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर आपूर्ति होने पर इन्द्राज किया जाता है) मय 8 एसवी वाउचर सहित प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी ने बताया कि इन 13 डायरियों में से कुल 7 उपभोक्ता लगभग 6–8 माह पूर्व मकान छोड गये है। इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा अवैध रूप उपभोक्ताओं की डायरियों पर घरेलू गैस सिलेण्डर प्राप्त कर अपने मकान में बने कमरे में भण्डराण कर घरेलू गैस सिलेण्डरों से वाणिज्यिक सिलेण्डरों में गैस का अन्तरण कर वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विक्रय किया जाना प्रतीत होने व घरेलू गैस का दुरूपयोग पाये जाने पर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 100 ग्राम को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 03.12.2011 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण प्लाट नम्बर 16 के सामने रोड पर एक लाल टैक्सी नम्बर आर.जे. 14 जीए 8560 खडी मिली। जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दो वाणिज्यिक सिलेण्डर रखने का प्रयास किया जा रहा था तथा नाम पूछने पर वह दोनो व्यवसायिक सिलेण्डर छोडकर मौके से भाग गया तथा अप्रार्थी के प्लाट नम्बर 16 जे. खाली चौक पानी की टंकी के सामने स्थित है में भूतल पर बने तीन कमरों में से एक कमरे के अन्दर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर व 3 वाणिज्यिक सिलेण्डर रखे पाये गये तथा कमरे में गैस सिलेण्डरो के काम आने वाले वासर भी रखे पाये गये। अप्रार्थी से पूछताछ करने पर उक्त घरेलू व वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को रखे जाने हेतु बताया कि उसके द्वारा कैटरिंग का कार्य किया जाता है, जिसके लिए उसे सिलेण्डरों की आवश्यकता होती है। मौके पर श्री पृथ्वी सिंह द्वारा टिफिन सेन्टर व कैटरिंग का कार्य करना व अनुज्ञापत्र लेना बताया, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है प्रार्थी द्वारा उपभोक्ताओं के घरेलू

जिला कलक्टर
जयपुर

गैस कनेक्शनों पर अवैध रूप से सिलेण्डर प्राप्त कर अवैध भण्डारण किया जाकर कैटरिंग कार्य के उपयोग में लिये जाने की पृष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 100 ग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर एच.पी.सी. मय एल.पी.जी. 99 किलोग्राम व 5 वाणिज्यिक सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 100 ग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 14.12.2011 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 10.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर